Government of India / Bharat Sarkar
Ministry of Railways / Rail Mantralaya
(Railway Board)

PC-VI No. 284
RBE No. 19

No.F(E)I/2011/AL-28/26 New Delhi, dated 14.02.2012.

The General Managers,
All Indian railways etc.
(as per standard mailing list)

Sub: Travelling allowance rules - Journey on Transfer/Retirement.

****

In terms of Board's letter No.E(W)2004 PS 5-9/1 dated 01.08.2011, personal effects up to the specified weight limits and/or conveyance up to the prescribed scale/rates as prescribed under Board's letter No. E(W)2004 PS 5-9/1 dated 17.06.2009 were permitted to be transported by road on reimbursement basis in lieu of Kit Pass to the place of posting on transfer/place of settlement after retirement. The reimbursement on account of transportation of personal effects/conveyance was to be regulated as prescribed in Board's letter of even number dated 01.09.2011.

2. In terms of para II of the said letter, if transportation of personal effects is made by road between places connected by rail, reimbursement of actual expenditure by road limited to presumptive railway freight would be admissible.

3. However, doubts have been raised by one of the railways regarding methodology to be followed in calculating presumptive railway freight. The matter has been examined in Board's office and it has been decided that rates per km for transport by road as prescribed in Board's letter No F(E)I/2008/AL-28/15 dated 29.12.2010 would be applicable to transportation of personal effects made by road between places connected by rail also. Therefore, there would no longer be any distinction in rates of transportation of personal effects by road between places connected by rail or not connected by rail.

4. Accordingly, in partial modification of Board's letter of even number dated 1.9.2011, para II of the said letter may be modified to read as under:

Contd...2/-

"II. Transportation of Personal effects on Transfer/settlement after retirement:

(i) If the transportation of personal effects is made by rail	Rates prescribed in terms of Board's letter number F(E)I/2008/AL28/15 dated 29.12.2010 and revised vide Board's letter No.F(E)I/2011/AL-28/18 dated 13.06.2011 would be applicable for transportation of personal effects by Road from the place of residence to the Railway Station at the old headquarters and from Railway Station to the place of residence at the new headquarters.
(ii) If the transportation of personal effects is made by road	Reimbursement of actual expenditure by road limited to rates prescribed in terms of Board's letter number F(E)I/2008/AL28/15 dated 29.12.2010 and revised vide Board's letter No.F(E)I/2011/AL-28/18 dated 13.06.2011

"

5. All other provisions given in Board's letter dated. 1.9.11 shall continue to be applicable.

6. These orders shall take effect from 3rd June , 2011 i.e. date of effect of Board's letter No. E(W)/2004/PS 5-9/1 dated 01.08.2011.

7. Hindi version will follow.

8. Please acknowledge receipt.

(SONALI CHATURVEDI)
Dy. Director Finance (Estt)
Railway Board.

No.F(E)I/2011/AL-28/26 New Delhi, dated 14.02.2012

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 222, Rail Bhavan, New Delhi (40 spares).

For Financial Commissioner/Railways.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पीसीVI सं.284
आरबीई सं.19

सं. एफ (ई)I/2011/एएल-28/26 **नई दिल्ली, दिनांक: 14.02.2012**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें आदि,
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: यात्रा भत्ता नियम-स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति के मामले में यात्रा।

बोर्ड के दिनांक 01.08.2011के पत्र सं. ई (डब्ल्यू)2004/पीएस 5-9/1 के अनुसार, बोर्ड के दिनांक 17.06.2009 के पत्र सं. ई (डब्ल्यू)2004/पीएस 5-9/1 के अन्तर्गत यथानिर्धारित विनिर्दिष्ट भार सीमा तक निजी घरेलू सामान और/अथवा निर्धारित स्केल/दरों पर वाहन की ढुलाई , स्थानांतरण के मामले में तैनाती के स्थान/सेवानिवृत्ति के मामले में सेटलमेंट के स्थान तक किट पास के बदले में प्रतिपूर्ति के आधार पर सड़क द्वारा करने की अनुमति दी गई है। निजी घरेलू सामान/वाहन की ढुलाई के संबंध में प्रतिपूर्ति बोर्ड के दिनांक 01.09.2011 के समसंख्यक पत्र में निर्धारित किए गए अनुसार विनियमित की जानी थी।

2. उक्त पत्र के पैरा II के अनुसार यदि रेल द्वारा जुड़े हुए स्थानों के बीच निजी सामान की ढुलाई सड़क द्वारा की जाती है तो सड़क द्वारा ढुलाई करने पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति रेलवे के माल-भाड़े, यदि उसे रेल द्वारा ढोया गया होता, तक सीमित होगी।

3. बहरहाल, यदि ढुलाई रेल द्वारा की गई होती के आधार पर रेल भाड़े की गणना के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के संबंध में एक रेल द्वारा संदेह प्रकट किया गया है। बोर्ड कार्यालय में इस मामले की जांच की गई और यह विनिश्चय किया गया है कि बोर्ड के दिनांक 29.12.2010 के पत्र सं. एफ (ई)I/2008एल-28/15 में निर्धारित किए गए अनुसार सड़क द्वारा ढुलाई के लिए प्रति कि.मी. दर, रेल द्वारा जुड़े हुए स्थानों के बीच सड़क द्वारा निजी घरेलू सामान की ढुलाई के लिए भी लागू होगी। अतः रेल द्वारा जुड़े हुए स्थानों अथवा रेल द्वारा न जुड़े हुए स्थानों के बीच सड़क द्वारा निजी घरेलू सामान की ढुलाई की दरों में कोई भिन्नता नहीं रहेगी।

4. तदनुसार, बोर्ड के दिनांक 01.09.2011 के समसंख्यक पत्र में आंशिक आशोधन करते हुए उक्त पत्र के पैरा II को नीचे दिए अनुसार आशोधित किया जाए:-

II. स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति के बाद सेटलमेंट पर निजी घरेलू सामान की ढुलाई:-

(i) यदि निजी घरेलू सामान की ढुलाई रेल द्वारा की जाती है।	बोर्ड के दिनांक 29.12.2010 के पत्र सं. एफ (ई)I/2008/एएल-28/15 के अनुसार निर्धारित और बोर्ड के दिनांक 13.06.2011के पत्र सं. एफ (ई)I/2011/एएल-28/18 के तहत संशोधित दरें, पुराने मुख्यालय के निवास स्थान से रेलवे स्टेशन तक और नए मुख्यालय के रेलवे स्टेशन से निवास स्थान तक सड़क द्वारा निजी घरेलू सामान की ढुलाई के लिए लागू होंगी।
(ii) यदि घरेलू सामान की ढुलाई सड़क द्वारा की जाती है।	सड़क द्वारा ढुलाई पर होने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति बोर्ड के दिनांक 29.12.2010 के पत्र सं. एफ (ई)I/2008/एएल-28/15 के अनुसार निर्धारित और बोर्ड के दिनांक 13.06.2011के पत्र सं. एफ(ई)I/2011/एएल-28/18 के तहत संशोधित दरों तक सीमित होगी।

5. बोर्ड के दिनांक 01.09.11 के पत्र में दिए गए अन्य सभी प्रावधान लागू रहेंगे।

6. यह आदेश 3 जून 2011 अर्थात् बोर्ड के दिनांक 01.08.2011 के पत्र सं. ई (डब्ल्यू)2004/पीएस 5-9/1 के प्रभावी होने की तारीख से लागू होंगे।

7. कृपया पावती दें।

सोनाली चतुर्वेदी

(सोनाली चतुर्वेदी)
उप निदेशक, वित्त स्थापना
रेलवे बोर्ड

FINANCE-P (E)